



2026:AHC:66435

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 4461 वर्ष 2026

ओमप्रकाश सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रताप कंचन सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रताप कंचन सिंह और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए श्री परितोष मौर्य, जीए-प्रथम को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक ओमप्रकाश सिंह की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उन्हें केस अपराध संख्या-6577 वर्ष 20255 में धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 666D के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, जो विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट में दर्ज किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी कमला देवी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-3757 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 10.03.2026 के आदेश द्वारा ज़मानत पर पहले ही बढ़ा दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कई अन्य सह-अभियुक्तों, अर्थात् लल्लो प्रसाद कुशवाहा, महिपाल और कैलाशनाथ पांडे को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को उसके बैंक खाते में कोई राशि नहीं मिली है। आवेदक 28.10.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो वह प्रदान किया गया है। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के परिवार के सदस्यों को उनके बैंक खातों में 45 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, और आवेदक को उससे कमीशन मिलता था।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक को उसके बैंक खाते में कोई राशि नहीं मिली है और सह-आरोपी व्यक्तियों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक 28.10.2025 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- ओमप्रकाश सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा कि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।



(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

सुमैरा

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)